


अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
उनवान

बनाम श्रीमति सापरी देवी उपवासी श्री सोहन कुमार
वजौरा

किस्म मुकदमा धारा 111-128 एलएआर एमए मु.नं. 9/20 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
31/1/20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा <u>111-128 एलएआर</u> के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक <u>4/3/20</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर </p>	
<p>4.3.2020 प्र.सं. 9/20 2020/00009</p>	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी <u>आपिपत्रा</u> अपास्केत विपक्षीगण वाचकसूट सूचना के अपास्केत नहीं होने से उनके विरुद्ध एलएआर कार्यवाही का निर्णय किया गया प्रार्थी <u>आपिपत्रा</u> ने विवेक किया कि प्रार्थीया खातेदार हैं और अपनी भूमि भी पत्न्याश्री अशार लखड़ी की - आदेश जलमय।</p> <p>प्रार्थी <u>आपिपत्रा</u> की वदत पर मकदम किया एवं पत्रावली के उपलब्ध रेकार्ड का इन्वेन्टरी से प्राप्त कि प्रार्थीया गात्र नोरावर भी खातेदार की सीमांकन कराने से कोई आपत्ती नहीं है।</p> <p>ऊपर प्रार्थीया का प्रार्थना पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि गात्र नोरावर भी आ.नं. 3674 रेकार्ड 0.43 है आ.नं. 3675 रेकार्ड 0.65 है और 2 रेकार्ड 1.08 है भूमि का सीमांकन कराना ठीक</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र०स० १/२० (२०२०/००००१)

नम्बर व तारी
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सीमांकन शुल्क के रूप में २००००/- राजभोग में तथा
५००००/- का सीमांकन फिस के जमा कराने पर सीमांकन
काराया जावे/ पाठक/अर्थ नदसी/लुदर रायपुर के लिखित
जावे पत्रावली फेल ल शुमार होकर नदर से

नम हो / अम
५.३.२०२०

अध्यक्ष कलेक्टर (उपखण्ड अधिकार
रायपुर (भीलवाडा)

